

ऐसी सामग्री जो किसी भी मात्रा में पर्यावरण में उत्सर्जित, जमा, या विकीर्ण होती है, जो एक हानिकारक परिवर्तन का कारण बनती है, जिन्हें अपशिष्ट कहा जाता है। अपशिष्ट में ऐसी सभी वस्तुएँ शामिल हैं जिनकी अब लोगों को आवश्यकता नहीं है या वे किसी काम के नहीं हैं, जिन्हें वे त्यागना चाहते हैं।

अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रियाओं, पीढ़ी, रोकथाम, लक्षण वर्णन, निगरानी, उपचार, हैंडलिंग, पुनः उपयोग और कचरे के अवशिष्ट बयान की श्रृंखला है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

पशिष्ट पदार्थ जो किसी भी तरह के त्याग किए गए रूप में होता है जैसे कचरा, अवशिष्ट, कीचड़, उपचार संयंत्र या किसी अन्य प्रदूषण नियंत्रण सुविधा को ठोस अपशिष्ट कहा जाता है।

औद्योगिक, वाणिज्यिक, खनन और कृषि कार्यो और सामुदायिक गतिविधियों से आने वाली ठोस, तरल, अर्ध-ठोस या गैसीय सामग्री सहित कोई भी सामग्री ठोस अपशिष्ट का हिस्सा है। इसमें घरेलू सीवेज, सिंचाई रिटर्न प्रवाह और औद्योगिक निर्वहन में भंग सामग्री शामिल नहीं है।

भारतीय शहर में प्रति व्यक्ति अपशिष्ट उत्पादन 200 ग्राम से 600 ग्राम प्रतिदिन के बीच है। हर साल 43 मिलियन टन एकत्र किया जाता है, लेकिन केवल 11.9 मिलियन टन का ट्रीटमेंट होता है बाकी लैंडफिल में जाते हैं, जिसका अर्थ है कि केवल 27-28% अपशिष्ट संग्रह उपचार के लिए जाता है, जो एक गंभीर स्थिति है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016

1. ठोस कचरे का वैज्ञानिक रूप से निपटान महत्वपूर्ण है और बुनियादी ढांचे, परिवहन, प्रसंस्करण के निर्माण की जिम्मेदारी स्थानीय अधिकारियों के पास है।
2. नियम अब नगरपालिका क्षेत्रों से परे और कस्बों, अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र, हवाई अड्डे, बंदरगाह और बंदरगाह, विशेष आर्थिक क्षेत्र, राज्य और केंद्रीय संगठन, धार्मिक स्थानों आदि के अंतर्गत आते हैं।
3. पुनर्प्राप्ति, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण, यह प्रक्रिया क्रम में होनी चाहिए और स्रोत पर अलगाव ही चैनलाइज़ करना आवश्यक है।



 **उड़ान** A 75-Day Course to Clear GS Paper of UPPSC Prelims [Start Free Trial](#)

4. किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों या जल निकायों में ठोस अपशिष्ट को फेंकना, दफनाना या जलाना नहीं चाहिए।
5. शहरी निकायों के मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों और समय-सीमा को पूरा करने के लिए स्थानीय निकायों को तकनीकी मार्गदर्शन और क्षमता निर्माण को मजबूत किया जाएगा।
6. ठोस कचरे के उपचार द्वारा बनाई गई खाद का उचित उपयोग आवश्यक है ताकि यह विधि समय के साथ बढ़ती जाए।
7. बाजार संचालन और कृषि पद्धति को दृष्टिकोण के लिए एक सही तरीके की आवश्यकता है। कृषि मंत्रालय और रसायन मंत्रालय कार्यान्वयन निकाय होंगे।
8. ऊर्जा की बर्बादी ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दी गई एक और अवधारणा है। वे कचरे से उत्पन्न बिजली के लिए शुल्क या शुल्क तय करेंगे। अपशिष्ट उपचार संयंत्र के पास (100 किमी) के सभी उद्योगों को कचरे से ऊर्जा की 5% आवश्यकता को प्रतिस्थापित करना चाहिए।

gradeup

 **उड़ान** A 75-Day Course to Clear GS Paper of UPPSC Prelims [Start Free Trial](#)